संख्या लिखेव-1/3(2)133 व्याज दर/2018-2019/ 31/16
dिनांक '27 SEP 2019

सेवा में,

सभी प्रभारी क्षेत्रीय अभियोगिता निधि आयुक्त,
क्षेत्रीय कार्यालय 

विषय: कर्मचारी अभियोगिता निधि आयुक्त के खातों के लिए वर्ष 2018-2019 के लिए व्याज दर की घोषणा के संदर्भ में ।

महत्त्व,

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने कर्मचारी अभियोगिता निधि योजना, 1952 के पैत 60 (1) के तहत क.भ.अ. निधि योजना 1952 के पैत 60 के अंतर्गत उपबोध्य के अनुसार कर्मचारी अभियोगिता निधि योजना के प्रत्येक सदस्य के खाते में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 8.65% की दर से व्याज देने के लिए केंद्र सरकार के अंतर्गत की सूचना दी है।

तद्नुसार आपसे से अनुरोध है कि उक्त व्याज को सदस्यों के खाते में जमा करने के लिए सभी संबंधितों को आवश्यक निर्देश जारी करें।

(प्राधिकरण पत्र :- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या आर-11018/1/2017/ एस.एस.-II दिनांक 24 सितंबर, 2019)

भव्यवहार,

विकास साधनालय
(विकास अधिकारी)
क्षेत्रीय श्र.निधि आयुक्त। (निवेश)

प्रतिलिपि :-

1. केंद्रीय अभियोगिता निधि आयुक्त के निजी सहायक।
2. केंद्रीय न्यासी बोर्ड के सभी सदस्य।
3. निदेशक, पीडीजास्ट, नई दिल्ली।
4. सभी आंध्रप्रदेश उप-निदेशक (सतर्कता)/ सभी आंध्रप्रदेश लेखा परिषद प्रभारी।
5. अपर केंद्रीय अभियोगिता निधि आयुक्त (मुख्यालय)/(आई.एस.) - को सूचना एवं अवश्यक कार्यांक हेतु।
6. अपर केंद्रीय अभियोगिता निधि आयुक्त (मुख्यालय)/(छूट)- को सूचना एवं अवश्यक कार्यांक हेतु।
7. प्रभारी अधिकारी, आ.प्र.सं., कॉलकाता, उ.जैन, फरीदाबाद एवं चेन्नई तथा उप.आ.प्र.सं., शीलाग।
8. मुख्यालय के सभी अधिकारी व अनुभाग।
9. सभी आंध्रप्रदेश अपर केंद्रीय अभियोगिता निधि आयुक्त।
10. नियोक्ताओं के केंद्रीय संगठन - सी.सी.आई., सी.आई.आई., एसोचेम, फिककी व पी.एच.डी।
11. कर्मचारियों के केंद्रीय संगठन - सभी केंद्रीय हेड यूनियन।
12. निदेशक (एस.एस.-II) - श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली।
13. निदेशक (बजट) - वित्त मंत्रालय, अर्थिक मामले विभाग, बजट प्रभाग, नई दिल्ली।
14. क्ष.भ.निधि.आई.। (प्रभारी), राष्ट्रीय डाटा केंद्र- इस आदेश को क.भ.निधि.सं. की वेबसाइट पर अपलोड करें।

विकास साधनालय
(विकास अधिकारी)
क्षेत्रीय श्र.निधि आयुक्त। (निवेश)